

## लटिलि अंडमान आईलैंड' के लिये नीतिआयोग की योजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीतिआयोग ने अंडमान और नकोबार द्वीप समूह में मौजूद 'लटिलि अंडमान आईलैंड' के लिये 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लटिलि अंडमान आईलैंड-वज़िन डॉक्यूमेंट' के नाम से एक सतत विकास योजना जारी की है, जिसके कारण पर्यावरण संरक्षणवादियों के मध्य गंभीर चिता उत्पन्न हो गई है।

- इससे पूर्व वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने अंडमान और नकोबार द्वीप समूह को 'समुद्री एवं स्टार्टअप हब' के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।



### प्रमुख बातें

#### उद्देश्य

- इस नीतिका उद्देश्य द्वीपों की रणनीतिक अवस्थिति और प्राकृतिक विविधताओं का लाभ प्राप्त करना है।
  - ये द्वीप हदि महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी रणनीतिक अवस्थितिके कारण भारत की सुरक्षा की दृष्टिसे काफी महत्वपूर्ण हैं।
  - बेहतर अवसंरचना और कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत को इन द्वीपों में अपनी सैन्य और नौसैनिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

#### योजना

- योजना के तहत एक नए गरीनफील्ड तटीय शहर के निर्माण की नीतिबिनाई गई है, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यह सांगोपुर तथा हॉन्गकॉन्ग जैसे शहरों के साथ प्रतिसिद्धधा करेगा।

**तीन ज़ोन:** योजना के तहत विकास कार्यों को तीन ज़ोन्स में विभाजित किया गया है:

- **ज़ोन 1**
  - यह लटिलि अंडमान आईलैंड के पूर्वी तट के साथ 102 वर्ग कलिमीटर क्षेत्र में फैला है।
  - यह एक महानगर होने के साथ ही आरथिक दृष्टिसे संपन्न क्षेत्र होगा जिसमें एयरोस्टी, पर्यटन तथा अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चिति की जाएगी।
- **ज़ोन 2**
  - यह आदमि वन के 85 वर्ग कलिमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
  - यह एक लेज़र ज़ोन है, जिसमें एक मूवी मेट्रोपोलिज़ि, आवासीय क्षेत्र तथा पर्यटन विशिष्ट आरथिक क्षेत्र (SEZ) शामिल किया जा सकते हैं।
- **ज़ोन 3**
  - यह आदमि वन के 52 वर्ग कलिमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
  - यह एक प्राकृतिक ज़ोन होगा जिसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों- अद्वितीय फॉरेस्ट रसियरेट, प्राकृतिक चकितिसीय क्षेत्र/खंड तथा प्राकृतिक आश्रय में वभाजित किया जाएगा। ये सभी पश्चामी तट पर स्थित होंगे।

## परविहन विकास

- विमान के सभी प्रकारों के लिये एक विश्वव्यापी हवाई अड्डा इस योजना के केंद्र में है, क्योंकि विकास के लिये वैश्वकि हवाई अड्डा होना महत्वपूर्ण है।
- द्वीप पर मौजूद एकमात्र जेटी (Jetty) का विस्तार किया जा सकता है।
- पूर्व से पश्चामि तक तटरेखा के समानांतर 100 किमी. ग्रीनफील्ड रागि हाइवे का निर्माण किया जा सकता है।

## चुनौतियाँ

- भारत के अन्य हिस्सों और विश्व के कई प्रमुख शहरों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी का अभाव।
- संवेदनशील जैव विविधियाँ और प्राकृतिक पारस्थितियों तंत्र तथा सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अधिसूचनाएँ भी क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा हैं।
- एक अन्य प्रमुख मूद्वा स्वदेशी जनजातियों की उपस्थितियों और उनके कल्याण की चित्ति से संबंधित है।
- लटिलि अंडमान का 95% भाग बनाच्छादित है, इन वनों का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन सदाबहार प्रकार का है। द्वीप का लगभग 640 वर्ग किमी. का भाग भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत रजिस्टर फॉरेस्ट के रूप में है और लगभग 450 वर्ग किमी. का क्षेत्र और द्वीप के रूप में संरक्षित है, इन वनों की सामाजिक-पारस्थितिक-ऐतिहासिक स्थितियों के कारण इनका अधिक महत्व है।

## योजना में प्रस्तावित समाधान:

- प्रस्ताव में इस भूमि के 240 वर्ग किमी. (35%) क्षेत्र को सम्मतियाँ करने का प्रस्ताव रखा गया है और मौजूदा विकल्प इस प्रकार हैं-
  - आरक्षणीय वन के 32% क्षेत्र को अनारक्षणीय रजिस्टर के 31% या 138 वर्ग किमी. क्षेत्र को अनधिसूचित करना।
  - यद्युपर्याप्ति समूह इस योजना में बाधक बनते हैं, तो प्रस्ताव के अनुसार उन्हें द्वीप के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

## प्रस्ताव में निहित समस्याएँ:

- यह लटिलि अंडमान में एक राष्ट्रव्यापी पारक्स/वन्यजीव अभ्यारण्य के संरक्षण की बात करता है, जबकि यहाँ वर्तमान में मानवीय अस्तित्व नहीं है तथा इस स्थान की भू-वैज्ञानिक भैद्यता की भी पूरण जानकारी नहीं है, यह क्षेत्र वर्ष 2004 में सुनामी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।
  - सुनामी से लटिलि अंडमान इस कदर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि यहाँ का सरिफ जलीय ढाँचा ही नहीं बल्कि उसकी भौतिक स्थिति भी बदल गई।
  - इस प्रस्ताव में न तो कोई वित्तीय विवरण है और न ही वनों एवं अन्य पारस्थितिक संपदाओं पर इसके प्रभावों का आकलन प्रदान किया गया है।
  - पश्चामी तट पर पश्चामी खाड़ी में प्रस्तावित 'नेचर रसियरेट' में थीम रसियरेट्स, फ्लोटिंग/अंडरवाटर रसियरेट्स एवं समुद्र तटीय रसियरेट्स आदिका निर्माण प्रस्तावित है।
  - वर्तमान में यह एक दुर्गम क्षेत्र विशाल 'लैंडरबैक सी ट्रैल' का प्रजनन स्थल है।

## वन विभाग की चित्तियाँ:

- एक नोट में लटिलि अंडमान के प्रभागीय वन अधिकारी ने पारस्थितिक संवेदनशीलता, स्वदेशी अधिकारों और भूकंप एवं सुनामी के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का सुझाव दिया है।
- उन्होंने उल्लेख किया है कि विन भूमि के इतने बड़े विभाजन से प्रयावरणीय नुकसान होगा जिससे काफी अधिक क्षति होगी।
- साथ ही विभिन्न जंगली जानवरों की आवासीय विशेषताएँ प्रभावित होंगी।
- प्रयावरणीय प्रभाव आकलन रपियरेट न होने के कारण प्रस्ताव का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता।

## लटिलि अंडमान आईलैंड:

- यह द्वीप लटिलि अंडमान समूह का हस्तिसा है (लटिलि अंडमान ग्रेट अंडमान के समकक्ष है)। यह अंडमान का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
  - यह अपने मुख्य गाँव के नाम से प्रसिद्ध है जो कि इसकी सबसे बड़ी बस्ती-हुत खाड़ी (Hut Bay) है।
- **जनजातियाँ**
  - पोर्ट ब्लेयर से लगभग 120 किलोमीटर की सामुद्रकि दूरी पर स्थित यह द्वीप वर्ष 1957 में एक आदविसी रजिस्टर बन गया है।
  - यह औंगे जनजातियों का निवास स्थान माना जाता है।
- **अवस्थितिएवं यातायात:**
  - द्वीपसमूह के दक्षिणी छोर पर स्थित 'हट बे जेटी' (Hut Bay Jetty) राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इस द्वीप में आने वाले जहाजों या नौकाओं के लिये एकमात्र बंदरगाह है।

## स्रोतः द हट्टू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/niti-aayog-proposal-for-little-andaman>

